

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-571/अ-15/स०वे०/टी०एस०-160

दिनांक: 12 / 11 / 2009


कार्यालय ज्ञापन

मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 264(एस/एस)/1999 (विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ०प्र० बनाम यू०पी० स्टेट एवं अन्य) तथा याचिका संख्या 1289 (एस०/वी०)/2003 (ए०जी० मोइनुद्दीन एवं अन्य बनाम उ०प्र० पाकालि एवं अन्य) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.07 तथा मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उ०प्र० पाकालि द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका संख्या 21712-21713/2007 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 27.07.2009 के अनुपालन में, पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद की विज्ञप्ति संख्या 531-विनियम-23/राविप-98 दिनांक 22.12.98 द्वारा निर्गत उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 1998 को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 160-विनियम एवं औस/पाकालि/09-7 विनियम/88 दिनांक 01.09.2009 सपठित शुद्धि-पत्र संख्या 172-विनियम एवं औस/पाकालि/09-7 विनियम/88 दिनांक 30.09.09 द्वारा दिनांक 01.04.84 (प्रभावी होने की तिथि) से निरस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप कारपोरेशन के आदेश संख्या 1150-काविनी एवं वे०प्र०-29/ पाकालि/09-7(2)-काविनी/2003 दिनांक 04.11.09 में निहित आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा मुख्य अभियन्ता संवर्ग के लिपिकीय कार्मिकों को पूर्व में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन स्वीकृत द्वितीय एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमानों को संशोधित करते हुए, एतद्वारा उक्त कार्मिकों को पूर्ववर्ती परिषदीय आदेश संख्या 1920-काविनी/राविप-29/98-62पी/86 दिनांक 28.11.1998 के प्राविधानानुरूप द्वितीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में कार्यालय अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद का वेतनमान रू० 1850-2930 (दिनांक 01.01.96 से पुनरीक्षित रू० 5850-9400) तथा तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में प्रशासनिक अधिकारी के पद का वेतनमान रू० 2600-4000 दिनांक 01.01.96 से पुनरीक्षित रू० 8550-13500) यथा देय तिथियों से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन मुख्य अभियन्ता संवर्ग के कतिपय लिपिकीय कर्मचारियों को, उपरोक्त संदर्भित आदेश संख्या 1920-काविनी दिनांक 28.11.1998 के प्राविधानानुरूप पूर्व में स्वीकृत किये जा चुके द्वितीय एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमानों को एतद्वारा विनियमित किया जाता है।

आदेश संख्या 1920-काविनी/राविप-29/98-62पी/86 दिनांक 28.11.1998 एवं आदेश संख्या 1150-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-7(2)-काविनी/2003 दिनांक 04.11.09 में निहित अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।


उक्त आदेश उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है।


(जवाहर लाल) 12-11-09
मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

संख्या-571/अ-15/स0वे0/तददिनांक 12/11/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को कानपुर।
5. अधिशासी निदेशक (पारेषण), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0, महानगर, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि, ऊर्जा भवन, कॉवली रोड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. शिविर मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)/अधीक्षण अभियन्ता (मु0)/वैयक्तिक सहायक (तृतीय), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)।
13. प्रशासनिक अधिकारी (मु0/पें0), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)।
14. कट फाइल।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।


(ए0के0 पाण्डेय)

वैयक्तिक सहायक-तृतीय
कृते मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)